संख्या–क0नि0–5–3167 /11–2010–500 (5)/2009

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 15 जुलाई, 2010

विषयः स्टाम्प वादों के निस्तारण हेतु राजस्व अधिकारियों के मध्य निर्धारित अधिकारिता की सीमा को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि परिपत्र संख्या–क0नि0–5–4793/11–2000, दिनांक 26.08.2000 द्वारा निर्गत विभागीय नागरिक चार्टर के माध्यम से कलेक्टर के न्यायालय (जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सहायक आयुक्त स्टाम्प, परगना अधिकारी आदि) के लिए स्टाम्प वादों के निस्तारण हेतु निम्न निर्देश दिये गये थे :

क्रम सं0	विषय	निर्धारित समयावधि
1	2	3
1	स्टाम्पवाद में प्रथम नोटिस प्रेशित करना	वाद प्राप्त होने के सातवें कार्य दिवस से पूर्व
2	स्टाम्प वाद के निर्णय की घोशणा	स्टाम्पवाद प्रारम्भ होने के (प्रथम नोटिस जारी होने के) पष्चात 90 दिन के भीतर
3	वसूली प्रमाण–पत्र जारी करना	निर्णय के दिनांक से 30 दिन के बाद एक सप्ताह की अवधि में

2. स्टाम्पवादों के निस्तारण एवं वसूली की समीक्षा के दौरान शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि ''कलेक्टर'' स्टाम्प घोषित विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार स्टाम्पवादों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। स्टाम्प वादों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण न होने के फलस्वरूप जहां एक ओर विभिन्न न्यायालयों में अत्यधिक संख्या में स्टाम्प वाद लम्बित हो गये हैं, वहीं दूसरी ओर भारी मात्रा में स्टाम्प शुल्क के रूप में शासन का राजस्व भी वसूली हेतु विलम्बित हो रहा है। तीसरा पहलू यह भी है कि वादों का निस्तारण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा 90 दिन के अन्दर न करने के कारण न्यायालय के स्तर से विलम्ब होने पर भी स्टाम्प अधिरोपित होने की दशा में पक्षकारगण को लेखपत्र के निष्पादन की तिथि से 1.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है, जो न्यायोचित नहीं है।

3. उक्त कारणों की समीक्षा किये जाने के उपरांत यह तथ्य दृष्टिगत हुआ है कि राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के परिषदादेश संख्या–5096/14 (लेखा)–सामान्य–664/ 89/2006–07 दिनांक 21.11.06 एवं पत्र संख्या–5149/14 (लेखा)–सामान्य–664/89 /2006–07 दिनांक 24.11.06 द्वारा उत्तर प्रदेश के राजस्व अधिकारियों को स्टाम्प वाद के निस्तारण हेतु अधिकारिता की सीमा निर्धारित की गयी है, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में बड़े मूल्यांकन के स्टाम्प वाद ऐसे न्यायालयों में लम्बित हो गये हैं, जहां अधिकारीगण प्रशासनिक एवं अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्त रहने के कारण निर्धारित समय में स्टाम्प वादों का निस्तारण नहीं कर पाते हैं। उक्त व्यवस्था भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–2 (9) में परिभाषित ''कलेक्टर'' के अधिकारों को अतिक्रमित करता है।

4. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (9) में परिभाषित सभी कलेक्टर स्टाम्प वादों को सुनने के लिए समान रूप से अधिकृत हैं। इन्हें न तो भौगौलिक क्षेत्राधिकार में आबद्ध किया जा सकता है और न आर्थिक क्षेत्राधिकार में ही आबद्ध किया जा सकता है। यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जब स्टाम्प वाद योजित किया जाता है, तो जिस आख्या के आधार पर स्टाम्प वाद योजित होता है, उस आख्या में वर्णित स्टाम्प कमी केवल सांकेतिक होती है। अनेकानेक वाद न्यायालय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते और छूट जाते हैं तथा ऐसा भी होता है कि आख्या में बहुत कम स्टाम्प कमी इंगित की गई हो और निर्णय के समय इंगित कमी से कई गुना आरोपण करना यथोचित पाया जाये। निर्गत परिषदादेश दिनांक 21.11.2006 व 24. 11.2006 द्वारा निर्धारित की गयी अधिकारिता की सीमा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–75 से भी संगत नहीं है, क्योंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न कलेक्टरों के मध्य अधिकारिता की सीमा में कोई विभेद नहीं रखा गया है। अतः किसी जनपद में लम्बित स्टाम्प वादों की संख्या तथा उपलब्ध न्यायालयों की संख्या के आधार पर ही स्टाम्प वादों का आवंटन किया जाना न्याय एवं राज्य के हित में है।

5. अतः सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत अधिकारिता से सम्बन्धित परिपत्रों/परिषदादेशों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–2 (9) में परिभाषित ''कलेक्टर'' के अधिकारों के विरूद्ध निर्गत किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमित करते हुए वादों में गुणवत्तापूर्ण और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के उद्देष्य से निम्न निर्देश दिये जाते हैंः

(1) जनपद में लम्बित स्टाम्प वादों की संख्या के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) व उप जिलाधिकारी तथा अन्य अपर जिलाधिकारियों के मध्य स्टाम्पवादों का आवंटन इस दृष्टि से किया जाये कि इन न्यायालयों द्वारा प्रत्येक दशा में 90 दिन के अन्दर स्टाम्प वादों को निस्तारित कर दिया जाये।

(2) सहायक आयुक्त स्टाम्प जनपद में कार्यरत पूर्णकालिक विभागीय अधिकारी हैं। अतः स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिये उनका मासिक मानक 100 स्टाम्प वाद निर्धारित किया जाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्हें यथासम्भव जनपद में लम्बित कुल स्टाम्प वादों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक स्टाम्पवाद अनिवार्यतः आवंटित कर दिये जायें।

(3) जनपद लखनऊ, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में सहायक आयुक्त स्टाम्प के दो पद सृजित एवं कार्यरत हैं। इन जनपदों में अत्यधिक संख्या में स्टाम्प वाद लम्बित हैं। अतएव सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायालयों हेतु यथासम्भव जनपद में लम्बित कुल स्टाम्पवादों की संख्या के 60 प्रतिशत से अधिक स्टाम्पवाद समान रूप में अनिवार्यतः आवंटित कर दिये जायें।

(4) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित स्टाम्प कमी से सम्बन्धित स्टाम्प वादों को प्रत्येक दशा में सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायालयों में आवंटित कर दिया जाये तथा उनके निस्तारण की स्थिति का अनुश्रवण नियमित अन्तराल में जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) साथ ही सबसे पुराने लेखपत्र पर योजित वाद का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। पुराने वादों का चयन वाद योजन की तिथि से न करके लेखपत्र के निष्पादन की तिथि से किया जाना चाहिये, क्योंकि लेखपत्र के निष्पादन के दिनांक से ही ब्याज की गणना प्रारम्भ हो जाती है।

(6) स्टाम्प वादों का निस्तारण उक्त व्यवस्था के अनुसार सिटीजन चार्टर में निर्धारित समयावधि एवं शासन के परिपत्र संख्या–1943/11–5–2010– 500(13)/2010 दिनांक 13.05.2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाय।

6. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5– 3167/11–2010–500 (5)/2009, लखनऊ दिनांक 15 जुलाई,2010

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर लखनऊ को इस आशय से कि उक्त की प्रति समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश तथा उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेष को प्रेषित करते हुए तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।